15.4.15

अनावश्यक होने से
12.3.15 पेश है

196/2

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत / लोक अदालत अभियान में पेश हुई। वादी उपस्थित और प्रतिवादी अनुपस्थित नहीं होने से प्रकरण के गुण दोष में लिया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद राजीनामे के आधार पर पेश किया है परन्तु वादीगण द्वारा जब भूमि क्रय की तब और खातेदारी में दर्ज थी एवं गैर खातेदारी भूमि होने से वादीगण का नामान्तरण खारिज किया गया था। प्रतिवादी गण तेजसिंह के वारिसान होने से वाद्यस्थल भूमि का नामान्तरण उनके नाम दर्ज किया गया था एवं प्रतिवादीगण ने भी भूमि अन्य को विक्रय कर दी है वादीगण वाद्यस्थल भूमि पर अपना कब्जा बताते हैं परन्तु कब्जे के सम्बन्ध में कोई प्रमाण सबूत पेश नहीं किया है अतः नस्ती के आधार पर वादीगण का वाद खारिज योग्य प्रतीत होता है

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद साबित नहीं पाये जाने से खारिज किया जाकर पत्रावली निर्णित होकर संचिका के रूप में

निर्णय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा उदयपुर

किशन